रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 1972/अग्रहायण 7, 1894

No. 284] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 1972/AGRAHAYANA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

12 DEC 1972
1412

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 28th November 1972

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts semi-tanned cow hides, low grammage papers, kapok and handloom products, when imported into India from Bangladesh—

(i) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934);

(ii) from the whole of the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

[No. 127/F. No. 550/92/72-LC.I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 468(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, अर्द्ध-शोधित गाय की खालों, कम भार के कागज, सेमल की रुई और हथकरघा उत्पादों को, जब उनका बंगलादेश से भारत में आयात किया जाए,—

(i) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से,

(ii) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 127/फा० सं० 550/92/72-एल सी-1.]

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 62 of the Finance Act, 1972 (16 of 1972), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 74-Customs, dated the 28th May, 1972, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 76 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"77. No. 127-Customs, dated the 28th November, 1972".

[No. 128/F. No. 550/92/72-LCI.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

सा० का० नि० 469(अ).—वित्त अधिनियम, 1972 (1972 का 16) की धारा 62 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान

हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 74–सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"77. सं० 127–सीमा-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1972।"।

[सं० 128/फा० सं० 550/92/72–एल सी–1]

डी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972